बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०स०ः–2/अ०प्र०–01–51/2022 36 /पटना, दिनांक :– 9.9.22

कार्य प्रमंडल, खगड़िया अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० के तहत बेला सिमरी से भगवानचक (पैकेज संख्या–BR-17R-072) पथ की फर्जी समयवृद्धि के आधार पर राशि की निकासी करने संबंधी प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, खगड़िया से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, खगड़िया के पत्रांक 1148 अनु0 दिनांक 18.08.2022 से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार ब्राडा के पत्रांक 2659 दिनांक 11.12.2020 एवं उसके अनुलग्नक में गलत तरीके से छेड़–छाड़ (edit) कर फर्जी समयवृद्धि की स्वीकृति के आधार पर राशि की निकासी की गयी। इस फर्जी निकासी में कार्य प्रमंडल, खगड़िया के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ–साथ संवेदक की संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। यह एक गंभीर वित्तीय एवं आपराधिक मामला है। इसकी गहन जॉच आवश्यक है। इस आपराधिक कृत्य के लिये कार्य प्रमंडल, खगड़िया के पदाधिकारी एवं संवेदक के साथ–साथ श्री अशोक कुमार राय, लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

3. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक कुमार राय, लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) एवं (ग) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री राय का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री राय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 की सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री राय के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अग्रेतर कार्रवाई का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(हस्ताक्षर) 9/9/22

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–01–51/2022 1453 /पटना, दिनांक :– 9.9.22

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 9/9/22

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–51/2022 1453 /पटना, दिनांक :– 9.9.22

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अशोक कुमार राय, लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/22

अभियंता प्रमुख